20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(93)

।। श्री ।।

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../.....

प्रस्तुती दिनांक ..../09/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

निगरानी- 5554/2018/इंदौर/भू.रा.

1. श्री शेख मो. सलीम पिता श्री शेख मो. युनुस,
2. श्री शेख मो. इमरान पिता श्री शेख मो. युनुस,

दोनो निवासीः- 5/1, नंदलालपुरा, इन्दौर (म.प्र.)

.......आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
   पताः- प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
   जिला इन्दौर, (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
   डॉ. अम्बेडकर नगर, तहसील महू,
   जिला इन्दौर, (म.प्र.)
3. श्री शंकर पिता श्री शोभाराम,
   निवासीः- शिव नगर, तहसील महू,
   जिला इन्दौर, (म.प्र.)
4. श्री निहालसिंह पिता श्री रुगनाथ,
5. श्री मेघाजी पिता श्री गणेशजी कीर,
6. श्री कैलाश पिता श्री रतन काछी,
7. श्री सुधीर पिता श्री रतन काछी,

क्रमांक 04 से 07 निवासीः- ग्राम चिखली,
टप्पा सिमरोल,तहसील महू, जिला इन्दौर, (म.प्र.)

श्री .... द्वारा आज, दि. 11-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

11.9.18

......अनावेदकगण

अविरत..........(2)

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत //

श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर के द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 167/क.री./2018 दिनांक 01/09/2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र. क्रमांक निगरानी 5554/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-9-2018	आवेदकगण की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री कमल जैन, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के अभिभाषकों को ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 167/क.री./2018 दिनांक 1-9-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा कलेक्टर ने उक्त कारण बताओ सूचना पत्र पट्टेदारों द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय किये जाने जाने से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से जारी किया है । प्रकरण में अभी कलेक्टर द्वारा केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जहां आवेदकगण को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । चूंकि कलेक्टर द्वारा अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	